

FORM No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER

of सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जीपाड शहर

Kind of the Case 88, 53, 189 P.T.A.C


Number of Case 29 Year 2015

मपटा नंबर Versus कृष्णसिंह, पत्नी

Order with initials of Presiding Officer

Brief note of compliance of the Order

पनापली पंच डुई तहसीलदार
 जीपाड शहर से निर्णय दिनांक
 07/03/2012 की पालना में
 कलकत्ता व खार (विकास) उखण्ड
 दिनांक 18/4/2015) मय नपरी नरेश
 उखण्ड डुई। इन्हें प्राथमिक
 डिडी से कर्तव्य रूप से स्वीकार
 किया जाता है। उक्त कलकत्ता
 उखण्ड मय नपरी नरेश उक्त
 डिडी से मय रहेगे। कर्तव्य
 डिडी प्रथम से जारी यथा
 सलगत प्रकल्प है।
 पनापली कलक्टर उखण्ड
 कलक्टर नंबर से रुक से रुक
 सादर 6 महीने है।



सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 जीपाड शहर (जोधपुर)

डिकी ब मुकदमें इब्दाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

इजलास श्री नेमा राम, आर.ए.एस.

ममता कंवर बनाम करणसिंह वगैराह वगैराह

बाबत 88, 53, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व मूल वाद संख्या 29/2015

मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू व वकुलाय हाजरी वकील संग्राम सिंह चौहान

नजानिब मुदई वकील महेन्द्र सिंह कच्छावाह मनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता

कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम सोवणिया के खसरा संख्या 151, 650,

71 व 791 मे वादी एवं प्रतिवादीगण का हक हिस्सा तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त मौका

पोर्ट(विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 18/04/2025 बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अनुसार

गा। तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय एवं

की के भाग रहेगें। वादी के हक में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी इस

शय की जारी की जाती है कि वादी के बंट में आई हुई भूमि पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार से

बलन्दाजी उत्पन्न नहीं करे एवं न किसी अन्य कर से करावे। तहसीलदार पीपाड़ शहर

राजस्व रेकॉर्ड में आवश्यक कार्यवाही करे ।

ज.....शून्य.....मुवलिक.....शून्य.....बाबत.....शून्य.....खर्चा

मुकदमें के मय सूद व शरद.....शून्य.....फीसदी सालाना आज की तारीख से

रीख वसूलयाबी तक.....शून्य.....को आदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08/12/2025 को जारी की गई।



सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायला	रूपया	पै.
टाम्प अरजोदाबा टाम्प वकालतनामा टाम्प वजह सबूत हनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनाम स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक		
मीजान.....			मीजान.....		

नोट:-इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकन का चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो
या नही दर्ज करना चाहिये।